न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 33/2025 तारीखरजू:– 16/5/25 2025/106

उनवान:– झम्मन बनाम कमल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
16/5/25	प्रार्थी की ओर से श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 10.06.2025 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2334-40 16/5/25
10/6/25	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 25/6/25 को पेश हो।	
25/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित अप्रार्थी नं० 1, 2 की ओर से श्री हेतराम गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। उप अप्रार्थी नं० 6 की ओर से श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। उप अप्रार्थी नं० 4, 5 की ओर से तामील स्वयं की होने की रिपोर्ट होने के पश्चात भी कोई भी [illegible] अप्रार्थी नं० उपस्थित नहीं हुआ इसलिए [illegible] अमल मे 4, 5 के खिलाफ [illegible] की ओर से पैरवीकार लाई जाती है। अप्रार्थी नं० 7 [illegible] सरकार उपस्थित। वास्ते तलबी उप जवाब दिनांक 24/7/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	फर्द अहकाम
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वकील उभयपक्षगण ने सीधे ही बहस करने हेतु निवेदन किया, जिसे स्वीकार कर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सायलान एवं गैरसायलान अपनी-अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। उक्त आराजियात सहखातेदारी की भूमि होने कारण उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 33/2025 तारीख रजू :— 16.05.2025

पीठासीन अधिकारी :— पूजा मीना (आर.ए.एस.)

1. झम्मन पुत्र दौजी उम्र 51 वर्ष जाति जाटव निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

2. किशनप्यारी पत्नी हरिराम जाति जाटव निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

सायलान

बनाम

1 कमल } पिस0 जगन
2 हरी }
3 महावीरसिंह दत्तक पुत्र रामरतन
4 हरीराम पुत्र रामसहाय
5 हरीराम दत्तक पुत्र मूल्या

} समस्त जाति जाटव निवासी मातासूला तह0 टोडाभीम जिला करौली (राज0)

6 बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

7 तहसीलदारजी (सबरजिस्ट्रार) तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :— 1 अभिभाषक प्रार्थी :— रमेश चन्द सैनी एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी:— हरिराम गुर्जर (अप्रार्थी नं0 1 व 2)

3 अभिभाषक अप्रार्थी:— कृष्ण कुमार [illegible] (अप्रार्थी नं0 6)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक— 24/7/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मातासूला के हाल खाता संख्या 111 में दर्ज खसरा नम्बर 1145 रकवा 0.09 है0, 1146 रकवा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रकवा 0.55 है0 में सायल संख्या 1 हिस्से 1/3 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं शेष हिस्से के अन्य गैरसायलान, खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 1136/1723 रकवा 0.10 है0, 1138 रकवा 0.43 है0 1140 रकवा 0.19 है0, 1141 रकवा 0.03 है0, 1142 रकवा 0.02 है0, 1143 रकवा 0.21 है0, 1144 रकवा 0.09 है0, 1386 रकवा 0.12 है0 कुल किता 10 कुल रकवा 1.87 है0 में सायल संख्या 01 का हिस्सा 2/9 तथा सायला संख्या 02 हिस्सा 1/9 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के अन्य गैरसायलान खातेदार काश्तकार है। सायलान एवं गैरसायलान ने मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार अपनी–अपनी भूमि का वहामी बंटवारा कर रख है, लेकिन सायलान एवं गैरसायलान के मध्य रिकार्डेड बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन डोल मेड को लेकर विप्रार्थना होता रहा है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

बांका दिनांक 09.05.2025 को करीब 10 बजे गैरसायलान से तहसील टोडाभीम चलकर अपने–अपने हिस्से की आराजी का विधिवत बंटवारा कराने का निवेदन किया तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया तथा सायलान को ऐलानियां धमकी दी कि हम हमारे हिस्से की जमीन को बिना बंटवारे कराये ही लट्ठ वाले दीगर व्यक्ति को विक्रय कर देगें जो तुम्हें तुम्हारे हिस्से पर भी काश्त नहीं करने देगा। सायलान ने गैरसायलान को ग्राम व समाज के व्यक्तियों के द्वारा काफी समझाईश की लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मिता पर अडे रहे, गैरसायलान चालाक एवं झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार ... गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 1145 रकवा 0.09 है0, 1146 रकवा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.55 है0 एवं खसरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नम्बर 1136/1723 रकवा 0.10 है0, 1138 रकवा 0.43 है0 1140 रकवा 0.19 है0, 1141 रकवा 0.03 है0, 1142 रकवा 0.02 है0, 1143 रकवा 0.21 है0, 1144 रकवा 0.09 है0, 1386 रकवा 0.12 है0 कुल किता 10 कुल रकवा 1.87 है0 स्थित ग्राम मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में सायलान के हिस्से की भूमि को सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हक हकूक सायलान प्रतिकूल असर पडता हो। गैरसायलान उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण करे। गैरसायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जो कि व ताफैसला दावा उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्ति को रहन–व्यय नहीं करे। गैरसायल नं0 7 को इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त आराजीयात के संबंध में सालयान के अतिरिक्तअन्य किसी के हक में कोई दस्तावेज पंजीबद्ध न करे। गैरसायलान रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी वकील ने जबाव प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 कमल का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नं0 2 रीं हिस्सा 1/8 के रिकॉर्डेड खातेदार है बकिया हिस्से के अन्य खातेदार है। मुताबिक खातेदारी अपने बहामी बंटवारे के अनुसार काबिजएवं दखिल है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने हिस्से व खातेदारी के अनुसार व कब्जे के अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है तथा जो भूमि रास्के उपयोग में आ रही है। उसको रास्ता दर्ज करवाया जावे। प्रतिवादी नं0 1 व 2 का जबाव व काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुये मुताबिक कब्जा व मुताबिक खातेदारी व रास्ते के मुताबिक बंटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे तथा फाईनल डिक्री किया जावे तथा रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को रास्ता दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मातासूला के खाता संख्या 111 कुल किता 2 कुल रकवा 0.55 है0, खाता संख्या 112 कुल किता 10 कुल रकवा 1.87 है0 में सायलान एवं गैरसायालन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार सायल, गैरसायल का सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे उभयपक्ष सहखातेदार है अतः किसी एक को दूसरे के विरूद्ध पाबन्द करना किसी एक पक्ष/उभयपक्ष को क्षति होने की संभावना कारित करता है। जिससे उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। उक्त आराजीयात सहखातेदारी की भूमि होने के कारण उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्योचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested